बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... विजयपाल 225 ..... मु. नं0 ..... जगदीशप्रसाद 29 ..... वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.3.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । ग्राम कीरपुरा की आराजी ख0नं0 289, 303, 304, 306 कुल चकिता-4 रकबा 3.96 हैक्टर में अपीलान्ट का 1/14 हिस्सा एवं ख0नं0 303/1 रकबा 0.02 हैक्टर में 1/28 हि0 है । अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र उक्त आराजी पर मौका कमिश्नर नियुक्त करने का पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने सुनवाई करते हुये स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 22-10-2013 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया । बहस प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त करने पर सुनी गई और उसी प्रार्थना पत्र का आदेश पारित किया किन्तु अन्त में अन्तरिम पारित आदेश को अपास्त करने का आदेश विधि विरूद्ध अपास्त कर दिया । जबकि अप्रार्थी अथवा प्रार्थी की ओर से भी ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया जिसमें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को अपास्त किया जावे । अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के अन्तरिम आदेश को अपास्त किया है । जिससे विवादित आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर आराजी का अन्तरण किया जा सकता है तथा पक्षकारों के मध्य और अधिक मुकदमे बाजी बढने की सम्भावनाऐ अधिक हो गई है । अतः अदालत मातहत का मातहतक का आदेश दिनांक 13-3-18 को स्थगित किया जाकर दिनांक 22-10-2013 के अन्तरिम आदेश को अपील के निर्णय तक बहाल रखा जावे । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने प्रार्थना	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीकर

अस्थाई निषेधाज्ञा में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया ।अदालत मातहत की आदेशिका के अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश-26 नियम-9सीपीसी की बहस मे नियत था । प्रार्थना पत्र में किसी भी पक्षकार के द्वारा भी कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अन्तरिम आदेश-दिनांक 22-10-2013 को अपास्त किया जावें ।अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश पर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश को अपास्त किया है अतः हम यहा पर अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पुनः पारित करें जब तक उभय पक्ष उक्त विवादित आराजी का किसी प्रकार से बैचान/ अन्तरण नहीं करें एक दूसरे के कब्जा काश्त में कोई दखल अन्दाजी नहीं करें ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 12-3-2018 एवं 13-3-2018 में दिनांक 22-10-2013 को पारित अन्तरिम आदेश को अपास्त किया है उस हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इसी स्तर पर रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुन कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पारित करें तब तक उभय पक्ष विवादित आराजी का बैचान/ अन्तरण नहीं करें, एक दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें । पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवें ।

निर्णय सुनाया गया ।

20/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी